पेट्रोल 25 रुपए कम बेचने से भी सरकार को नुकसान नहीं।

—— पी चिदम्बरम, पूर्व वित्त

समाधान योजना प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रण
मैसर्स एनसीएमएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड
(कार्पोरेट ऋणशोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया के अधीन)

मैसर्स एनसीएमएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड ('कार्पोरेट देनदार') 650 टीपीडी की परिशोधन क्षमता और 100 टीपीडी की सम्मिश्रित तेल क्षमता (ब्लेण्डिंग ऑयल कैपेसिटी) की प्रचालनशील/संस्थापित क्षमता के साथ उत्तर पट्टी में खाद्य तेल उद्योग में एक सुविख्यात नाम है।

माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली ('एनसीएलटी') के आदेश दिनांकित 07-11-2017 के अनुसरण में ऋण शोध अक्षमता एवं दिवाला संहिता, 2016 ('आईबीसी') के प्रावधानों के तहत उक्त कार्पोरेट देनदार के संबंध में कार्पोरेट ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया आरंभ की गई है तथा अधोहस्ताक्षरी को अंतरिम समाधान प्रोफेशनल नियुक्त किया गया है। क्रेडिटर्स की समिति ('सीओसी') ने आईबीसी की धारा 22(3) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए 06 दिसम्बर, 2017 को अधोहस्ताक्षरी को कार्पोरेट देनदार का समाधान प्रोफेशनल ('आरपी') नियुक्त किए जाने का अनुमोदन किया है।

संभावित निवेशकों, उधारदाताओं तथा अन्य व्यक्तियों से मैसर्स एनसीएमएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड हेतु इसको एक निवेश/व्यवसाय का अवसर मानते हुए आईबीबीआई (कार्पोरेट व्यक्तियों हेतु ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 36क तथा आईबीसी की धारा 25 (2) (ज) के तहत समाधान योजना आमंत्रित की जाती है।

न्यूनतम ग्राह्यता मानदंड – उक्त योजना के साथ समाधान प्रोफेशनल ('आरपी') के पास पहुंचने के लिए समाधान आवेदकों (एकल, संयुक्त रूप से अथवा संघ रूप में) हेतु निम्नानुसार हैं :-

बॉडी कार्पोरेट्स/फर्म्स/व्यक्तियों के लिए

- कुल प्रत्यक्ष शुद्ध मूल्य भारतीय रुपए 50 करोड़, दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा समर्थित।

फण्ड्स/पीई निवेशकों/वित्तीय संस्थानों के लिए

- 31-03-2018 को भारतीय रुपए 500 करोड़ की प्रबंधनाधीन न्यूनतम आस्तियां अथवा नियोजित निधियां अथवा निवेश के लिए उपलब्ध वचनबद्ध निधियां।

इच्छुक आवेदक समाधान योजना प्रस्तुत करने के लिए अपनी अभिरूचि की अभिव्यक्ति उपरोक्त ग्राह्यता मानदंडों के साक्ष्यकरण दस्तावेजों के साथ मेल कर सकते हैं। ग्राह्य आवेदकों को आईबीसी के प्रावधानों तथा तदधीन विरचित विनियमों के तहत ग्राह्यता की घोषणा तथा गोपनीयता वचनपत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे। ऐसा करने पर आवेदकों को सूचना ज्ञापन (आईएम) उपलब्ध कराया जाएगा। ज्ञापन प्रक्रिया में, अन्य विवरण के अतिरिक्त, क्रेडिटर्स की समिति द्वारा अनुमोदित समय सीमाएं तथा मूल्यांकन मैट्रिक्स सम्मिलित हैं।

मूल्यांकन मैट्रिक्स कार्पोरेट देनदार की वेबसाइट www.ncml.co.in पर भी 24-05-2018 को अपलोड किया जाएगा।

समाधान योजना प्रस्तुत करने वाले आवेदकों को भारतीय रुपए 2 करोड़ की ईएमडी अपनी समाधान योजना प्रस्तुत करने के समय पर तथा भारतीय रुपए 3 करोड़ की एक अतिरिक्त ईएमडी सीओसी के सदस्यों द्वारा समाधान योजना के अनुमोदन के 3 कार्यदिवसों के भीतर समाधान योजना के कार्यान्वयन हेतु प्रहाणाधिकार के तहत सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया में एक नामित खाते में जमा करनी होगी क्योंकि केवल वे समाधान योजनाएं विचारित होंगी जिनके आवेदकों द्वारा निर्धारित ईएमडी नियत तिथि तक जमा की जा चुकी है।

वे आवेदक जो पूर्वतर सार्वजनिक सूचना दिनांकित 01-02-2018 के अनुसरण में अभिरूचि की अभिव्यक्ति प्रस्तुत कर चुके हैं अपनी समाधान योजना ईएमडी के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं, परंतु शर्त यह है कि वे अब भी उपरोक्त ग्राह्यता मानदंडों की पूर्ति करते हैं।

लेनदारों की समिति को, समाधान आवेदक को बिना कोई कारण बताए, समाधान प्रोफेशनल द्वारा प्रस्तुत किसी भी समाधान योजना को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार होगा।

समाधान योजना प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि **25-06-2018** है। समाधान योजनाएं, जहां तक परिसम्पत्तियों तथा उनके दस्तावेजों का संबंध है, **"जैसा है जहां है तथा जो है जैसा है आधार"** पर आमंत्रित हैं।

प्रक्रिया से संबंधित किसी भी संशोधन/अद्यतन वेबसाइट www.arck.in पर अद्यतन किया जाएगा। समाधान योजना प्रस्तुत करने अथवा निरीक्षण, नियम एवं शर्तों के संबंध में किसी स्पष्टीकरण और अन्य विवरण के लिए, कृपया निम्न को लिखें–

ज्ञान चंद नारंग, समाधान प्रोफेशनल – मैसर्स एनसीएमएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड

पत्राचार हेतु पता : 409, चतुर्थ तल, अंसल भवन, 16 केजी मार्ग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001.
फोन : 011–40078344
ई–मेल आईडी : insolvency@arck.in

आईबीबीआई के साथ पंजीकृत विवरण : पता : फ्लैट नंबर 214, ब्लॉक–बी2, वरूण अपार्टमेंट, सेक्टर–9, रोहिणी, नई दिल्ली–110085
आईपी रजि. नंबर IBBI/IPA-002/IP-N00362/20017-18/11031
ई–मेल आईडी : narangcg58@gmail.com

...के संरक्षण के पात्र नहीं है। ...इस मामले में ठेकेदार विनय बंसल की ...भेज दिया था। दिल्ली पुलिस की भ्रष्टाचार ...प्राथमिकी में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद ...के बेटे विनय बंसल समेत पीडब्ल्यूडी के ...कथूरिया, सहायक अभियंता सुरेश पाल ...एवं आशुतोष सिंह नामजद है। न्यायाधीश ...कि ये सच है कि सरकारी कर्मचारी होने के ...तरह की गिरफ्तारी न सिर्फ उनके व्यक्तिगत ...भी प्रभावित करती है लेकिन आवेदकों के ...बिलों की उचित जांच और निर्माण कार्य की ...सरकारी कोष से धन का भुगतान किया गया। ...के तौर पर वह न्याय से भले ही न बच पाएं ...हालत से संरक्षण से रोकती है। उन्होंने कहा ...दा आवेदन को खारिज किया जाता है।

डीयू शिक्षकों का परीक्षा मूल्यांकन का बायकॉट रहेगा जारी

नई दिल्ली (एसएनबी)। दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षकों द्वारा परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया का किया जा रहा बायकॉट आगे भी जारी रहेगा। इस बात का निर्णय बुधवार को कैम्पस में हुई दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ (डूटा) की हुई आम सभा में लिया गया। साथ ही 25 मई को यूजीसी पर प्रदर्शन किया जाएगा। आम सभा की अध्यक्षता डूटा के अध्यक्ष डॉ राजीब रे ने की।

बैठक शुरू होने से पूर्व डूटा के सचिव डॉ विवेक कुमार चौधरी ने शिक्षकों के सामने एक प्रस्ताव रखा, जिसमें उत्तर पुस्तिकाओं के जांचने का पूर्ण बायकॉट जारी रखना, यूजीसी मुख्यालय के समक्ष 25 मई को प्रदर्शन, 30 मई को मंडी हाउस पर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक अनशन, 31 मई को विस्तारित डूटा कार्यकारिणी की मीटिंग व 1 जून को फिर से डूटा जीबीएम बुलाने का निर्णय लिया गया।

चतुर्थ तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद म...

बैंक तथा वित्तीय संस्थाओं को देय ऋण की वसूली अधिनियम, ... वसूली न्यायाधिकरण (प्रक्रिया नियमावली, 1993) के नि...

निम्नलिखित के मामले में

ओ.ए. सं. 515/2017

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया — विरुद्ध

आवेदक

सेवा में,

डी.1	श्री अखलाक पुत्र मोह. समीर, निवासी 1250, कटरा हुसैन ...
डी.2	2 श्रीमती साहिबा बेगम पत्नी मोह. समीर, निवासी 1250, क...
डी.3	श्री नाजिम खान (गारंटर), निवासी बी–202, गली नंबर 4, ...

जबकि उपरोक्त नामक आवेदक ने आपके विरूद्ध एक वाद स्थापि... संतोषप्रद रूप से यह दर्शाया जा चुका है कि आपको साधारण रूप ... विज्ञापन के रूप में इस सूचना के माध्यम से आपको दिनांक 18-07-... के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है।

ध्यान दें कि यदि आप उपरोक्त तिथि को इस न्यायाधिकरण के समक्ष... निर्णय आपकी अनुपस्थिति में किया जाएगा।

मेरे हस्ताक्षर और इस न्यायाधिकरण की मोहर के तहत 14 मई, 20...

ऋण वसूली न्यायाधिकरण
(वित्त मंत्रालय...
एससीओ. सं. 33–34–35, प्रथम तल, सेक्ट...

डीवाई. सं. 1010

बैंक ऑफ इंडिया बनाम मैसर्स ओम मिनरल...

(आरडीडीबी एवं एफआईएसीटी अधिनियम 1993 की धारा 19 के... के बकाया ऋणों की वसूली अधिनियम 1993 के नियम 12... न्यायाधिकरण (प्रक्रिया) नियमावली, समय समय पर संशोधित, के...

सेवा में,

1. **मैसर्स ओम मिनरल्स ऐंड बिवरेजेज,** 1493, इंडस्ट्रियल एरिया, ...
   दूसरा पता :– 472, फूड पार्क, एचएसआईडीसी, राई, सोनी...
2. **श्री ओम प्रकाश जैन** पुत्र श्री राम प्रकाश जैन, निवासी प्लॉट ...
   स्वामी मैसर्स ओम मिनरल्स ऐंड बिवरेजेज
   दूसरा पता :– डब्ल्यूजैड–1ए, ब्लॉक–सी, केएच. नंबर 95... बाग, दिल्ली
3. **श्री जसविन्दर सिंह बंसल** पुत्र श्री हरभजन सिंह, निवासी 59, ...
4. **श्री पंकज कुमार** पुत्र श्री सरनाम सिंह, निवासी ए–172, प्रथ...
   दूसरा पता :– बी–42, विकास नगर एक्सटेंशन, उत्तम नग...

1. उपरोक्त वाद **रू. 1,26,11,412/–** की वसूली के लिए बैंकों ... की वसूली अधिनियम 1993 की धारा 19 के तहत इस न्याया...
2. जबकि न्यायाधिकरण की संतुष्टि हेतु यह दर्शाया जा चुका... सूचना देना संभव नहीं है, अतः दो अग्रणी समाचारपत्रों में इस... 28-08-2018 को पूर्वा. 10.30 बजे व्यक्तिगत रूप से अथवा ... लीगल प्रैक्टिशनर के माध्यम से इस न्यायाधिकरण के समक्ष... है। आपसे कारण बताने कि ओए में प्रार्थित राहत(तें) क्यों मंजू... अपना जवाब, यदि कोई है, अपने बचाव हेतु दस्तावेजों तथा ... आवश्यक विचारित करते हैं, व्यक्तिगत रूप से या अपने विधिव... के माध्यम से इस न्यायाधिकरण में प्रस्तुत करने की मांग की ... की सुनवाई तथा निर्णय आपकी अनुपस्थिति में किया जाएगा...
3. आपसे कारण बताने की मांग की जाती है कि प्रार्थित अंतरिम... मेरे हस्ताक्षर और इस न्यायाधिकरण की मोहर के तहत 14 ...